



उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लॉईज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ- 226001

e-mail: sectrustinvest21@gmail.com

संख्या:- /44/USPSET/ERPWork/2020-21

दिनांक: 24/01/2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०/उ०प्र०पा०का०लि० एवं समस्त डिस्काम में सामान्य भविष्य निधि योजना से आवरित समस्त कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि अग्रिम/अन्तिम निष्कासन के स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रसारण अधिकारी की वर्तमान प्रचलित व्यवस्था को अतिक्रमिit करते हुए निम्नवत व्यवस्था लागू होगी-

(क) सामान्य भविष्य निधि अग्रिम/अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति के सम्बन्ध में-

1. समस्त कारपोरेशन/डिस्काम मुख्यालय पर तैनात सभी संवर्गों के कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि अग्रिम/अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति सम्बन्धित डिस्काम के निदेशक (का०प्र०एवंप्रशा०) द्वारा की जायेगी।
2. क्रम सं०-01 के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में सामान्य भविष्य निधि अग्रिम/अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एवं कार्यालयाध्यक्ष के प्रकरण में सम्बन्धित उच्च कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(ख) सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान प्रकरण अग्रसारित करने के सम्बन्ध में-

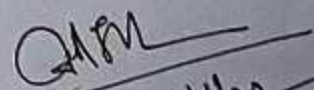
1. समस्त कारपोरेशन/डिस्काम मुख्यालय के समस्त कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान प्रकरण का अग्रसारण सम्बन्धित निदेशक (का०प्र०एवंप्रशा०) द्वारा किया जायेगा।
2. उक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों के समस्त कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान प्रकरणों का अग्रसारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा तथा कार्यालयाध्यक्ष के सम्बन्ध में सम्बन्धित उच्च कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष
(ट्रस्ट)

संख्या:- 57 /44/USPSET/ERPWork/2020-21 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०/ड्रान्सको/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र०एवंप्रशा०), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०/ड्रान्सको/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को।
4. निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०/ड्रान्सको/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (मा०सं०), उ०प्र०ज०वि०नि०लि०/समस्त मुख्य अभियन्ता।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा)।
7. सचिव, उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लॉईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, समस्त परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय।
9. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
10. कट फाइल।


(ए०के० पुरवार) 24/1/22
निदेशक (का०प्र०एवंप्रशा०)